

इसे बेवसाईट www.govtpress.mp.gov.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 76]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 18 मार्च 2026—फाल्गुन 27, शक 1947

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 18 मार्च 2026

अधि. क्र. 01 फाईल क्र. UDH-3-3-4-0003-2026-अटारह-3.— मध्यप्रदेश वृक्षों का परिरक्षण (नगरीय क्षेत्र) अधिनियम, 2001 (क्रमांक 20 सन् 2001) की धारा 24 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए धारा 4 एवं धारा 9 के तहत सभी नगरीय क्षेत्रों में नगरीय निकायों के कार्यों हेतु क्षेत्राधिकार वाले एवं वन विभाग के स्वामित्व अथवा वन विकास निगम को हस्तांतरित भूमि पर खड़े वृक्षों को काटने/हटाने हेतु संबंधित क्षेत्र के वन परिक्षेत्र अधिकारी/परियोजना क्षेत्रपाल को "वृक्ष अधिकारी" एवं सहायक वन संरक्षक संवर्ग के उप वनमंडलाधिकारी (क्षेत्रीय)/संभागीय प्रबंधक (वन विकास निगम) को "अपीलीय अधिकारी" नियुक्त करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रमोद कुमार शुक्ला, उपसचिव.